संख्या-263/2017/2381/22-2-2016-17(144)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र तिवारी उर्फ सुबाष तिवारी पुत्र श्री रामबड़ाई तिवारी, निवासी-जनपद-देवरिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28-10-2016 दिनांक 02-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जितेन्द्र तिवारी उर्फ सुबाष तिवारी पुत्र श्री रामबड़ाई तिवारी, निवासी-जनपद-देवरिया का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 08-03-1994 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक एवं कट्टे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-320/1995 में भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-16, देवरिया द्वारा दिनांक 01-12-2006 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 09 वर्ष 11 माह 00 दिन की अपरिहार एवं 12 वर्ष 04 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष काटी गयी सजा एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी जितेन्द्र तिवारी उर्फ सुबाष तिवारी (बन्दी संख्या-733/2010) पुत्र श्री रामबड़ाई तिवारी, निवासी जनपद-देवरिया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-263/2017/2381/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in